

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 14 अ/82 वर्ष 2018-19 मौजा छिन्दी/277 बैतूल दिनांक

8-1-2020
-2019

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	छिन्दी	2.187	छिन्दी लघु जलाशय (नहर कार्य)

अनुसूची - 2

अ.क.	खसरा नंबर	रकबा हे0 में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	529/1	1.153	0.101	नान्हू बे. जियालाल पंखुड़िया मुन्नी, जुरसो पिता जियालाल, उन्नो बे. बिकट, प्रभु छोटे प्रहलाद मुन्नी व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट रघुवंशी सा. देह.
2	229/3	0.202	0.065	जैराम व. गोलकसिंह सा. देह.
3	229/1	2.131	0.202	सुकरत बे. सूरत, शंकरसिंह, जसवंतसिंह व. सूरत, शंकरिया, सुखवन्ती पिता सूरत, करणसिंह व. जगतसिंह, गुलमस बे. टंटी कोमल जाँ. सुमेरसिंह अमरसिंह सुकलु व. कसन. कल्लु व. तीरथ, कमली, लज्जा पिता तिरथ झनकलाल व, बदनसिंह अबलू रामा लालसिंह ओमप्रकाश व. जगबीर, सरस्वती चम्पा सुनिता पिता जगबीर सतरूपा बे. गोरु पार्वती, कृष्णा, कोमल पिता गोरु, भीमराव व. टंटी सा. देह.

[Handwritten signature]

4	229/4	0.301	0.032	सुकलू व. कसन सा. देह.
5	228/1	0.345	0.178	रघुनन्दन सुखनन्दन व. उमकी, चम्पा पिता उमकी रघुवंशी सा देह.
6	227	2.270	0.162	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भद्दू सा. देह.
7	229/12	0.485	0.057	रमेश उर्फ रामा व. गोलक सरजो चन्दा पिता गोलक सा देह.
8	229/5	0.610	0.113	लालसिंह धर्मराजसिंह रमेश व. खड़कसिंह सा. देह.
9	209	1.019	0.162	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल धनलाल व. भद्दू हरचन्द व. नत्थु ग्यानी व. गोडे तन्नी बाई बे. रामदयाल सा. देह.
10	210	0.032	0.016	सोनम ना. बा. पिता दलबीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.
11	212	0.081	0.016	हजारीसिंह, गुलजारसिंह, जसवंतसिंह व. बल्लूसिंह जसवनिया पिता बल्लूसिंह रामभरोसे व. रामदास नन्हू व. रामदास रामकलिया पिता रामदास, सुल्को सरजू पिता रामदास रतनिया बे. रामदास कैलो बे. मटरु चम्पी पिता मटरु पंजाब व. सूरत मोहनसिंह गोलनसिंह, कुसुमलाल, रोशनलाल व. मंजरासिंह रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरासिंह रघुवंशी सा. देह.
12	198	0.243	0.080	रामभरोसे व. रामदास रामकलिया सुल्का सरजू पिता रामदास जसवनिया बे. नन्दकिशोर सुनिल व. नंदकिशोर सरिता रीता पिता नंदकिशोर रघुवंशी सा देह.
13	193/3	0.850	0.105	गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह.

14	192/2	1.315	0.076	नारायणसिंह, महतापसिंह, इन्दलसिंह व. यदुसिंह गीता पिता यदुसिंह सा देह.
15	118	0.676	0.130	अवलसिंह रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर चम्पा सरस्वती पिता जगवीर अवलसिंह रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व जगवीर बुटनीया बे. जगवीरसिंह सा.देह.
16	119	0.567	0.121	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विल्लो बे. सोमलाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भद्दू सा. देह.
17	120	1.740	0.154	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपालसिंह व रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम इन्द्रे व धनलाल गाड़ो बे. चैनु उर्फ चैनसिंह भैयालाल उर्फ इन्द्रेसिंह नन्हुसिंह अशोक राजेश उर्फ अज्जु व चैनु उर्फ चैनसिंह इन्द्रा, भूरी पिता चैनु उर्फ चैनसिंह सा. देह.
18	133	0.121	0.073	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल, धनलाल राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपाल व रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.
19	132	1.052	0.170	धनलाल व. भद्दू सा. देह.
20	192/1	1.319	0.065	इमरत व. हरचन्द्र सा. देह.
21	211/1	0.100	0.028	गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह
22	211/2	0.074	0.032	रोशनलाल व. मंजरा सा देह.



[Handwritten signature or mark]

23	217	0.242	0.049	रघुनंदन सुखनंदन व. डमकी सा देह.
	23	16.928	2.187	महायोग

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के नहर कार्य, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,




(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



पृ0क0 14 अ-82/18-19/ छिन्दी / 277
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 8-1-2020
-12-2019-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले के सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।


अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन बैतूल